

सं०: 1/47/2018-स्था० तीन/143-46
भारत सरकार
केन्द्रीय जल आयोग
स्थापना-तीन अनुभाग

तीसरी मंजिल, सेवा भवन
रामकृष्ण पुरम, दिल्ली-110066.
दिनांक 23.03.2021.

सेवा में

वेतन एवं लेखा अधिकारी,
केन्द्रीय जल आयोग,
नई दिल्ली ।

महोदय

सामान्य वित्तीय नियमावली, 1963 के नियम 235 के अधीन श्री कान्ता राम सहायक निदेशक को उनके द्वारा छुट्टी रियायत यात्रा ब्लाक वर्ष 2020-21 गृह नगर के दौरान New Delhi to Priyat Jon Pur (UP) दोनों ओर आने और जाने की यात्राओं के लिए 6,000/-रुपये (Rupees Thousands only) की अग्रिम अदायगी की स्वीकृति आदेश दिनांक 15-2-2021 को दी गई, जो कि अनुमानित राशि के 9/10वें हिस्से तक सीमित थी (अग्रिम अदायगी आदेश संलग्न) । अब अंतिम राशि के रूप में 92/- रुपये की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित की जाती है ।

भवदीया

(सीमा जुनेजा)
अनुभाग अधिकारी

प्रति प्रेषित :-

1. अनुभाग अधिकारी, लेखा- एक अनुभाग, के० ज० आ०, नई दिल्ली । (दो प्रतियां)
2. श्री कान्ता राम, सहायक निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली ।
3. वेबसाइट केन्द्रीय जल आयोग ।